संख्या-133/2023/610/001-610-23-10-23-10(ब0)/2017

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांक : 21 जून, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु धनराशि प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-627/आयोजनेत्तर बजट (पान्टून सेतु)/सेतु-6/2003-24 दिनांक 14.04.2023 एवं पत्र-729/आयोजनेत्तर बजट (पान्टून सेतु)/सेतु-6/2003-24 दिनांक 18.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु धनराशि प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-110/2023/744/001-744-23-10-23-40-सा0-2023 दिनांक 29.05.2023 द्वारा अनुदान संख्या-57 लेखाशीर्षक-3054 04 800 04 00 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत मानक मद-29 से अवमुक्त धनराशि रू0 119.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-57 राजस्व मद के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यों हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 125.00 करोड़ में से घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 123.81 करोड़ (रूपये एक अरब तेईस करोड़ इक्यासी लाख मात्र) निम्न विवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :- (धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड	बजट प्राविधान	अनुरक्षण कार्यों हेतु वर्ष 2023-24 में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
	अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा		
1.	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़के 800-अन्य व्यय 03-नावों के पुल और नौघाट 29- अनुरक्षण	35.00	35.00
2.	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़के 800-अन्य व्यय 04-पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत 29- अनुरक्षण	90.00	88.81

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

	योगः - (राजस्व लेखा मद)	125.00	123.81

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17 मार्च 2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 17.03.2023 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

''धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।''

(4) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

2- इस संबंध मे होने वाला व्यय (1) रूपये 35,00,00,000 (रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 3054048000300 नावों के पुल और नौघाट मानक मद 29 अनुरक्षण (2) रूपये 88,81,00,000 (रूपये अटठासी करोड़ इक्यासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 3054048000400 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17 मार्च 2023 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-133/2023/610/001-610-23-10-23-10(ब0)/2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- नियोजन अनुभाग-4 ।

7- लोक निर्माण अनुभाग-1 ।

8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।